उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-165/2018/ 2918/92-2-18-51एम/2018

लखनऊ:: दिनांक 20 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद सुल्तानपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रिटिकल गैप्स योजनान्तर्गत सीताकुण्ड घाट के दाहिनी ओर कराये गये घाट के चौडीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य बिना सक्षम स्तर की लिखित स्वीकृति के कराये जाने की अनियमितता/लापरवाही हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री जिलेदार खॉ, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति प्रखण्ड-संतकबीर नगर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) निर्धारित समयावधि में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-165/2018/2918(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-365 /ग्रा0अ0वि0/नियो0 एवं जांच/खे0यु0क0/18-19 दि0 27-09-2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री जिलेदार खां के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परि0-लखनऊ ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर।

4- श्री जिलेदार खॉ, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति प्रखण्ड-संतकबीर नगर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को उनकी पत्रावली संख्या.65एम/2017 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in